

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक...D/1585...../

जबलपुर, दिनांक 29/03/23

II-13-15/23

श्री देवीलाल पॉलीवाल, वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर का दिनांक 23.03.2023 से 30.05.2023 तक 69 दिन का सेवानिवृत्त पूर्व अवकाश स्वीकृत किया गया है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल
महोदय के आदेशानुसार

सही / -
(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)


पृष्ठांकन क्रमांक ...D/1586...../

जबलपुर, दिनांक 29/03/23

II-13-15/23

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/अवकाश/856 इंदौर, दिनांक 25/03/2023 के संदर्भ में श्री देवीलाल पॉलीवाल, वाहन चालक के सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश स्वीकृति आदेश प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)